

## परिशिष्ट (देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

## भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

## परियोजना विवरण:-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /  
- परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

सौंग बांध पेयजल परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि-  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

(ग) परियोजना की लागत। -

90000 लाख

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित -  
करने का औचित्य।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न  
होना।

(ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जाने के लिए)।

संलग्न है।

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की -  
सम्भावना है।

परियोजना के निर्माण से कुशल / अकुशल  
श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 50000  
मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -  
विवरण।

आरक्षित वन भूमि	-	85.6353 है०
सिविल सोयम भूमि	-	27.0073 है०
जलमग्न भूमि	-	12.2156 है०
वन पंचायत भूमि	-	2.8130 है०
नाप भूमि	-	10.6410 है०
<b>कुल भूमि</b>	<b>-</b>	<b>138.3122 है०</b>

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने  
का विवरण, यदि कोई है।

संलग्न

(क) परिवारों की संख्या -

272

(ख) अनुसूचित जाति के -  
परिवारों की संख्या।

16

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने-  
के लिये)।

संलग्न

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? संलग्न है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय)। संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक 14/03/2019

स्थान- देहरादून

अधिसूची अभियन्ता  
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,  
ऋषिकेश  
प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम- आर.के. गुप्ता  
आय. 0 क्षमिता

Amir  
अवर अभियन्ता  
अवस्थापना पुनर्वास  
खण्ड ऋषिकेश

Sudhanshu  
सहायक अभियन्ता  
अवस्थापना पुनर्वास  
खण्ड ऋषिकेश

Raj  
अधिसूची अभियन्ता  
अवस्थापना पुनर्वास  
खण्ड ऋषिकेश

प्रस्ताव की क्रम सं०.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**भाग - 2**  
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	सौंग बांध परियोजना के नव निर्माण हेतु 127.6712 है० वन भूमि का सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	देहरादून वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है० में	62.6245 है० वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	34.6034 है० आरक्षित वन भूमि 7.8900 है० जलमग्न भूमि 20.1311 है० सिविल सोयम भूमि 0.0000 है० वन पंचायत भूमि 62.6245 है० कुल वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	.....
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल-4 मी० भी संलग्न किये जाये	देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 2703 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बाज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या..... से ..... तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक दिसम्बर 2018 की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ..... से ..... तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल में आरक्षित वन भूमि देहरादून वन प्रभाग के थानो रेंज में कोटी घुडसाल वन ब्लॉक सं० 2, 1, पत्थरखान वन ब्लॉक सं० 1,2, मालकोट वन ब्लॉक सं० 7, 8 प्लेड वन ब्लॉक सं० 1, तथा सिविल सोयम भूमि थानो रेंज के ग्राम प्लेड एवं घुडसाल गांव की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या .. ..... पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।

(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या..... पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या ..... पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या .....से .....तक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ..... पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ..... से ..... तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी :- स्वयं वन विभाग समय :- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :- क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू० ..... लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या ..... से .....तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रू० ..... लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या ..... से .....तक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू० .....लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रू० .....लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या ..... पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या ..... पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	देहरादून वन प्रभाग/जिला - देहरादून/टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	..... वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	..... वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या .....है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र .....है० है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र .....है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक	

	<p>वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –</p>	<p>(क) .....है0 (ख) रिक्त</p>
(v)	<p>अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –</p>	<p>(क) ..... है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त</p>
13	<p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश</p>	<p>प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक ..... को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।</p>

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम :-

सरकारी मोहर

## भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

<b>7-</b>	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467 है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड., ऋशिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
<b>(i)</b>	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
<b>(ii)</b>	जिला	छेहरादून
<b>(iii)</b>	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
<b>(iv)</b>	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467 है०)
<b>(v)</b>	वन की कानूनी स्थिति	<p>31.9188 है० आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं०-7</p> <p>5.1050 है० आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं०-5सी</p> <p>1.5020 है० आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं०-1</p> <p>3.1700 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-2 एवं 3</p> <p>1.5480 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-6</p> <p>2.1140 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-7</p> <p>1.1880 है० द्वारा खाता न० 329 खसरा न० 2164 (राजस्व अभिलेख में रिजर्व फारेस्ट)</p> <p>1.4840 है० द्वारा खाता न० 329 खसरा न० 2165 (—ऐ—)</p> <p>0.6600 है० द्वारा खाता न० 330 खसरा न० 2092 (राजस्व अभिलेख में वन विभाग)</p> <p>0.5800 है० द्वारा खाता न० 330 खसरा न० 701 (—ऐ—)</p> <p>1.1580 है० ग्राम थेवा खाता न० 136 खसरा न० 436क (राजस्व अभिलेख में रिजर्व फारेस्ट)</p> <p>0.0280 है० ग्राम थेवा खाता न० 136 खसरा न० 226 (—ऐ—)</p> <p>0.5760 है० ग्राम थेवा खाता न० 136 खसरा न० 199ख (—ऐ—)</p> <p>0.6600 है० ग्राम सौन्दणा सिविल सोयम भूमि</p> <p>4.5472 है० ग्राम रगड़गांव सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.2460 है० ग्राम भरवाकाटल सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.3460 है० ग्राम श्रीपुर सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.0560 है० ग्राम थेवा सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.4200 है० ग्राम रेनीवाला सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.4400 है० ग्राम कुल्हान मानसिंह सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.1610 है० ग्राम मरोठा सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.7938 है० ग्राम सौंदणा (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.6442 है० ग्राम रगड़गांव (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.2580 है० ग्राम भरवाकाटल (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.0870 है० ग्राम श्रीपुर (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.1480 है० ग्राम खेरीमानसिंह (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.8000 है० ग्राम पुस्ताड़ी (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p>0.1800 है० ग्राम कुल्हान मानसिंह (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि</p> <p><u>2.8130 है०</u> ग्राम सौंदणा (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि</p> <p><u>65.0467 है०</u></p>
<b>(vi)</b>	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.4 (औसत घनत्व-0.3)

<b>(vii)</b>	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में विभिन्न प्रजातिवार एवं व्यासवर्गवार के कुल 6078 वृक्ष प्रभावित /वाधक होने निहित है। प्रभावित /वाधक होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यासवर्गवार गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के प्रपत्र-20.1 के संलग्नक 50 से 143 पर चस्पा है।
<b>(viii)</b>	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(से0नि) लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 21-01-2016 की आख्या प्रस्ताव के प्रपत्र-33 के संलग्नक-172 से 184 चस्पा की गयी है।
<b>(ix)</b>	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन कुण्ड कक्ष सं0-7, 5सी0, रिंगालगढ कक्ष सं0-1, द्वारा कक्ष सं0-2, 3, 6 एवं 7, द्वारा खाता न0 329 खसरा न0 2164, 2164, द्वारा खाता न0 330 खसरा न0 2092ख, 701 तथा ग्राम थेवा खाता न0 136 खसरा न0 436, 226 तथा 199ख एवं ग्राम सौन्दणा, रगड़गांव, भरवाकाटल, श्रीपुर, थेवा, रैनीवाला, खैरीमानसिंह, पुस्ताडी, कुल्हान मानसिंह एवं मरोटा की सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
<b>(x)</b>	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र-25 के संलग्नक-149 पर चस्पा है।
<b>(xi)</b>	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—नहीं—
<b>(xii)</b>	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-37 के संलग्नक-189 पर चस्पा है।
<b>8.</b>	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र-14 के संलग्नक-31 पर चस्पा है।
<b>9.</b>	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-
<b>10.</b>	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 है0 के बदले दुगने 255.3424 अर्थात 256.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुमशः ग्राम भुटगांव रकबा- 18.50है0 एवं 8.76है0, ग्राम खासकोटी रकबा-27.30है0, ग्राम मोगी रकबा-24.30है0, ग्राम टिंगरी चक रकबा-29.00है0 एवं ग्राम जयद्वार तल्ला रकबा-20.54है0 की सिविल सोयम भूमि का चयन /आंबटन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं गूगल मानचित्र (पॉलीगन) आदि प्रस्ताव के प्रपत्र-42 के संलग्नक-194 से 195 एवं प्रपत्र-44 के संलग्नक-228 से 232 पर चस्पा है।
<b>(i)</b>	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 है0 के बदले दुगने 255.3424 अर्थात 256.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों (सिविल सोयम भूमि) का चयन भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत किया गया है। प्रस्तावित स्थल से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूखण्डों की धरातलीय दूरी लगभग 80.00किमी0, चयनित भूखण्डों की संख्या-8 तथा प्रत्येक भूखण्ड का आकार पर्वतीय व ढालदार है।

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 7,84,71,936.00 (रू0 सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 7,84,71,936.00 (रू0 सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर जीार नौ सौ छत्तीस मात्र)
A(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र एवं खसरा खतौनी की प्रति प्रस्ताव के प्रपत्र-43 के संलग्नक-196 से 227 पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-6 के संलग्नक-18 पर चस्पा है। पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 16-5-2019 को किया गया है, जो प्रस्ताव के संलग्नक 19(i) पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 115 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 262.5113 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 190.8498 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 414.678 हैक्टेयर /651.6392 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 317.63 है0 /531.38 है0 जिला /प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग को अपने स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 17-5-2019

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर  
नाम:- (कहकशा नसीम  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सरकारी मुहर, मसूरी

## (प्रपत्र - 4)

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## भाग - 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

17

**भाग - 4**

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

भाग - 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्रधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग- IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर